3/यो0स०क०-33/2022 04

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 6.3.2026

विषयः- **वितीय वर्ष 2025-26 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत पूरक पोषाहार योजना के संचालनार्थ केन्द्रांश मद में रू० 26626.33 लाख (दो सौ छियासठ करोड छब्बीस लाख तैंतीस हजार रू०) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1062 दिनांक 07.03.23 से "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है तथा ज्ञापांक-5724 दिनांक 27.11.2017 द्वारा राज्य में बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, धातृ महिलाओं में कुपोषणता को दूर करने हेतु विभिन्न अवयवों के लिए समेकित बाल विकास छत्र योजना कार्यान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0) अन्तर्गत पूरक पोषाहार योजना के संचालनार्थ कुल रू०- 185888.89 लाख मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 35 दिनांक- 16.04.2025 एवं प्रथम अनुपूरक से प्राप्त राज्यांश (सामान्य) मद में कुल रू. 64587.00 लाख मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 113 दिनांक 14.08.2025 तथा द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त कुल रू० 33456.37 लाख मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक 134 दिनांक 24.12.2025 द्वारा प्रदान की गई है। SNA SPARSH के तहत योजना के संचालन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप संगत राज्यांश मद से आन्तरिक सामंजन के माध्यम से केन्द्रांश मद में अंतरित अतिरिक्त राशि रू० 26626.33 लाख (दो सौ छियासठ करोड छब्बीस लाख तैंतीस हजार रू०) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	PFMS Code	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1.	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0) (पूरक पोषाहार योजना) (केन्द्रांश-सामान्य)	50:50	3975 (BR188)	51-2236021010203	0203.21.03	98891.76	26626.33
कुल योग - (दो सौ छियासठ करोड छब्बीस लाख तैंतीस हजार रू०) मात्र							**26626.33**

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के वित विभाग के पत्रांक – 12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, 227/वि० दिनांक 28.03.2025, 235/वि0 दिनांक 01.04.2025, 600/वि. दिनांक- 06.08.2025, 950/वि. दिनांक- 12.12.2025, **191**/वि० दिनांक 16.02.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-33/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-**20/टि0** पर दिनांक-**24.02.2026** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गई है कि (क) निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी महालेखाकार कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे। (ख) भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश राशि की विमुक्ति के पश्चात ही समानुपातिक राज्यांश राशि की निकासी की जायेगी।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-33/2022 के टिप्पणी पृष्ट संख्या-**22/टि0** पर दिनांक-**27.02.2026** को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

27/2/26

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-33/2022 04 पटना, दिनांक- 06.3.2026

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/26
अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-33/2022 04 पटना, दिनांक- 6.3.2026

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/2/26
अपर सचिव

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-33/2022 04 पटना, दिनांक- 6.3.2026

प्रतिलिपि –विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/2/26
अपर सचिव